राजनीति विज्ञान

बी.ए.2 ईयर के छात्रों के लिए
प्रथम प्रश्न पत्र : पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक

"अरस्तू के सम्पूर्ण विचार"

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रस्तुतकर्ता –
डॉ. नरेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय भोजपुर, मुरादाबाद

अरस्तू (Aristotle)

- राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक.

➤ राजनीति विज्ञान का उद्भव पाश्चिमी जगत में हुआ, इसका प्रारंभ अरस्तू से माना जा सकता है.

➤ जिस प्रकार प्लेटो को राजनैतिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तू को राजनीतिविज्ञान का जनक माना जाता है.

➤ अरस्तू के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था,

➤ अरस्तू के पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था, परंतु राजनीति कोई विज्ञान नहीं था. राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का श्रेय अरस्तू को है.

➤ इसी कारण <u>मैक्सी</u> - अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक (First Political scientist) की संज्ञा देते हैं. अरस्तू की पद्धति और उसके दर्शन में निहित <u>सार्वभौम तत्व</u> उसे राजदर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं.

➢ सर्वप्रथम आगमनात्मक पद्धति (Inductive method) का प्रयोग. विश्लेषणात्मक पद्धति (Analytical method) साथ ही पर्यवेक्षणात्मक पद्धति. और साथ ही तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग. जो कि यथार्थता और व्यवहारिकता पर बल देती है.

➢ अरस्तू राजनीति विज्ञान का जन्मदाता और विकासकर्ता भी. उसके द्वारा प्रस्तुत विचार आज भी प्रासंगिक.

1. अरस्तू ने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया. अपने महानग्रंथ "पालिटिक्स" में सर्वप्रथम पर्यवेक्षण तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया. 158 देशों के संविधानों का अध्ययन.

2. राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना अरस्तू की महत्वपूर्ण देन है.
(प्लेटो में राजनीति और नीतिशास्त्र मिश्रित हैं)
अरस्तू ने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग किया.
(Political Science begins with Aristotle)

3. सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धान्त का व्यापक रूप में अध्ययन. राज्य के उत्पत्ति और विकास से

विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान, नागरिकता, कानून तथा क्रांति आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विशद विवेचन / इनका स्पष्ट विवरण प्लेटो में भी नहीं मिलता.

• राज्य एक प्राकृतिक संस्था है / व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है. (स्वयंसिद्ध कथन)

4. अरस्तू ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के तीनों अंगों- नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है.

5. अरस्तू कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करता है. प्लेटो के सर्वाधिक विवेकसंपन्न व्यक्तियों द्वारा शासन के स्थान पर वह नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है.

6. कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास के कारण उसे "संविधानवाद का जनक" कहा जाता है.

7. वैज्ञानिक सूझ-बूझ के द्वारा "मध्यम मार्ग" का प्रतिपादन. इस कारण समस्याओं पर यथार्थवादी तथा व्यवहारिक रूप से विचार कर पाता है.

8. अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन का विचार अनुकरणीय है. जिसमें उसने राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र का सुंदर समन्वय किया है.

9. लोककल्याणकारी राज्य का भी प्रवर्तक / जब वह कहता है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है तथा शुभ और सुखी जीवन के लिए उसकी निरंतरता बनी हुई है.

10. राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व. किसी सुसंस्कृत समाज के लिए न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण / राज्य के नागरिकों में संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा महत्वपूर्ण.

निष्कर्ष रुप में यदि सभी तत्वों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि - अरस्तू प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान का जन्मदाता. वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो आज भी प्रासंगिक है. उसने जिन विषयों पर विचार किया तथा अपने सिद्धान्त दिये वे आज भी कमोवेश उसी प्रकार हैं.

• अरस्तू के राज्य संबंधी विचार

• अरस्तू के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है. प्लेटो की तरह वह सोफिस्ट वर्ग की धारणा का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति किसी समझौते से हुई है.

• अरस्तू का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक संस्था है और इसकी उत्पत्ति एक प्रक्रिया द्वारा विकास के कारण हुआ है. राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था है,

• <u>राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई</u> ?

राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है.

① विवाह के आधार पर <u>परिवार</u> संस्था का उदय होता है, जहां पति-पत्नी, बच्चे, दास.

② कई परिवारों के एकत्र होने से <u>ग्राम</u> बनता है. (दैनिक आवश्यकताओं से कुछ अधिक)

③ ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, इस कारण कई ग्रामों के सम्मिलन से राज्य (नगर-राज्य) का जन्म होता है. व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इसी संस्था में हो सकता है.

• अरस्तू के अनुसार कुटुम्ब से ग्राम, और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए. राज्य की परिभाषा करते हुए वह कहता है – "राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्म-निर्भर जीवन की प्राप्ति है."

➤ अरस्तू के राज्य विषयक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं –

• राज्य एक स्वाभाविक संस्था है.

– राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक संस्था तथा प्राकृतिक संस्था.

– राज्य परिवार का व्यापक रूप है. यह वैसे ही स्वाभाविक है, जैसे राज्य.

– जो मनुष्य राज्य में रहने में असमर्थ है या जिसे इसकी आवश्यकता नहीं, वह या तो पशु है या देवता.

• राज्य सर्वोच्च समुदाय है.

– अरस्तू राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है.

– अन्य सभी समुदायों का अस्तित्व तथा विकास राज्य में ही संभव है.

– राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति है.
(Highest Good)

- **राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है.**

- अरस्तू के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है. समय की दृष्टि से परिवार पहले है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य.

- राज्य समग्रता है और मनुष्य उसका अंग मात्र. समग्र पहले आता है और राज्य बाद में.

- **राज्य का स्वरूप जैविक या सावयवी.**

- अरस्तू के अनुसार - राज्य का स्वरूप जैविक है, और इसकी प्रकृति एक जीवधारी के समान है.

- राज्य का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर हुआ है. और व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं, और अंगों का महत्व, संपूर्ण के कारण ही है.

- **राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है.**

- आत्मनिर्भर समुदाय से आशय है कि - राज्य अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने में स्वयं सक्षम है.

- राज्य सभी स्थितियों एवं वातावरण की सृष्टि करता है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है.

- **राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता है.**

- राज्य का उद्देश्य जीवन ही नहीं, एक आदर्श और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है.

- राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों का अधिकतम कल्याण करना है. राज्य का कर्तव्य सकारात्मक और रचनात्मक है.

इस प्रकार अरस्तू राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है. जिसका उद्देश्य व्यक्ति की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो की भांति अरस्तू भी "नगर राज्य" या 'सिटी स्टेट' को सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानता है. उसने अपने आदर्श राज्य को एक नगर राज्य के रूप में ही किया है. अपने राज्य संबंधी विवेचन विवेचन में नगर राज्य को ही समस्त कला और गुणों से संपन्न माना है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है.

• अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार

• अरस्तू ने अपने पुस्तक Politics में राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार दिये हैं. लेकिन इसमें वह नागरिकता के संबंध में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है.

➤ राज्य की परिभाषा – "राज्य नागरिकों के मेल से बनता है"

↓

नागरिक कौन है ?
नागरिकता क्या है ?

• अरस्तू अपने नागरिकता संबंधी विचारों में तत्कालीन समय में प्रचलित मतों का खण्डन करता है. जैसे- निवास मूलक मत, कानूनी अधिकार मूलक तथा वंश परंपरा मूलक मत आदि. (निषेधात्मक दृष्टि)

1. केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता – विदेशी + दास भी राज्य में रहते हैं.

2. अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता नहीदेता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा.

3. किसी राज्यक्षेत्र में जन्म लेने, या किसी नागरिक की संतान होने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता,

4. नागरिकता छीनी गई हो तथा जिसे देशनिकाला दिया गयाहो,

• अरस्तू के अनुसार – नागरिकता का निर्धारण, जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण है।

" वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अर्थात न्याय संबंधी या विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक होता है।

• नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचार <u>वर्तमान से</u> <u>बहुत भिन्न</u> है। यह वर्तमान नागरिकता के अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित थी। उसका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की तरह मात्र मतदाता ही नहीं बल्कि राज्य के शासन कार्यों में भाग लेने वाला, सक्रिय भागीदारी वाला व्यक्ति है।"

• प्लेटो की भांति अरस्तू भी नागरिकता को <u>सीमित</u> करने के पक्ष में है। साथ ही शासन कार्य को वह बुद्धि, विवेक तथा नैतिक शक्ति धारक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मानता है, इसी कारण वह सभी व्यक्तियों को नागरिकता के योग्य नहीं मानता।

- वह इन श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखना चाहता है –

1. स्त्रियों, दासों तथा बच्चों को नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए – बौद्धिक क्षमता निम्न स्तर.

2. श्रमिक वर्ग भी नागरिकता के योग्य नही – उसके पास नागरिक के गुण विकसित करने का समय नहीं होता.

3. वृद्ध व्यक्तियों को नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए. – राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व पूरे करने की स्थिति में नहीं.

4. संपत्तिविहीन व्यक्तियों को राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए – इसकी राज्य के कार्यों में रुचि नहीं.

- नागरिकता के गुणों की चर्चा करते हुए वह कहता है कि – अच्छे नागरिक के गुण नगर राज्य तथा संविधान के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है. समुदाय के साथी नागरिकों के सामाजिक – आर्थिक – राजनैतिक तथा नैतिक तथा सभी दृष्टियों से विकास व उद्धार करने का लक्ष्य निर्धारित करना श्रेष्ठ नागरिक के गुण हैं। कुल मिलाकर नागरिक, पूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर अपनी क्षमतानुसार निश्चित कार्यों को निष्ठापूर्वक ढंग से संपादित करे ।

आलोचना –

1. अरस्तू की न्याय संबंधी धारणा अत्यंत, सीमित और संकुचित है। जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को वह नागरिकता से वंचित कर देता है' (स्त्री, बालक, दास, वृद्ध)

२. अरस्तू के नागरिकता की धारणा वर्तमान प्रतिनिधयात्मक शासन में संभव नहीं, क्योंकि वह नागरिक को कानून निर्माण कार्य देता है" वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति नीति-निर्माता नहीं

3. उसके नागरिकता का विचार अनुदार और धनिकतंत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है' (केवल धनी व्यक्ति जूरी या कानून के निर्माता के रूप में कार्य करेंगे - निर्धन वर्ग की उपेक्षा)

4. नागरिक व अनागरिक में भेद ही नहीं बल्कि अनागरिकों को वह राज्य का सदस्य ही नहीं मानता' (जबकि समाज के अनेक कार्य दास, मजदूरों द्वारा)

5. अधिक संख्या या जनसंख्या वाले राज्यों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता'

6. नागरिकता की इस प्रकार की धारणा अपनाने से समाज कई वर्गों, समुदायों में बंट जाएगा, ऐसे में – राज्य में शांति - व्यवस्था - एकता व सामंजस्य नहीं हो सकता'

अंत में कहा जा सकता है कि अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारों की अनेक कमियां हैं' सैद्धांतिक दृष्टि से यह भले श्रेष्ठ हो, न ही ही इसे व्यवहारिक रूप में सही कहा सकता'

• अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार

* यूनानी नगर - राज्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी, - राज्यों के स्वरूप और उनके संविधानों में परिवर्तन. अरस्तू के समय में यूनान का राजनीतिक जीवन अस्थिर और परिवर्तनशील हो गया था, । अरस्तू ने इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम देखे थे, अत: इस अस्थिरता को दूर करने का उपाय खोजना आवश्यक था:

• क्रांति - सामान्य रूप से क्रांति का अर्थ है, एक व्यवस्था को बदल कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था की व्यवस्था / स्थापित.

• सुधार - एक व्यवस्था के अंतर्गत उसकी कमियों को दूर करना और समस्याओं का निराकरण.

Common ⇒ 'परिवर्तन'

अरस्तू क्रांति का अर्थ उस अर्थ में नहीं लेता है, जिस अर्थ मे हम - इंग्लैण्ड, फ्रांस अथवा रूसी क्रांति को लेते हैं,

• अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ - राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक छोटा-बड़ा परिवर्तन.

क्रांति के कारण – 1 – सामान्य
2 – विशेष
3 – विशेष शासन की व्यवस्थामें.

1– अरस्तू के अनुसार क्रांति का सर्वप्रमुख कारण <u>असंतुष्टता</u> है, और इसकी जड़ है – • असमानता ✓
• अन्याय ✓
(असमानता और अन्याय ही वे परिस्थितियां उत्पन्न करते है, जिससे क्रांति की संभावना बढ़ जाती है)

• समानता के दो रुप – पूर्ण समानता/आनुपातिक.
<u>पूर्ण समानता</u> का अर्थ है – सभी व्यक्ति समान है. इस कारण उनके साथ समानता का व्यवहार हो.
<u>आनुपातिक समानता</u> से आशय है, समानों के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार, तभी समानता स्थापित की जा सकती है.
पूर्ण और आंनुपातिक समानता का विरोध ही क्रांति को जन्म देता है.

• <u>अन्याय</u> – असंतोष से व्यक्ति के अंदर यह भाव उत्पन्न होता है कि वह जितना पाने योग्य है, उसे उससे कम मिल रहा है, तथा दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए था, उसे उससे अधिक मिल रहा. क्रांति का मूल अन्याय का भाव है.

2- विशेष कारणों में जो प्रमुख कारण अरस्तू ने बताया है —

1- जब शासक जनता के हित में कार्य न करके निजी हित के लिए कार्य करता है.

2- जब समाज के कुछ लोग अपने को दूसरो से श्रेष्ठ समझने लगते है,

3- जब शासक किसी को विशेष सम्मान देता है या किसी को अपमानित करता है.

4 - घृणा भी क्रांति को जन्म देता है, सत्ताधारी वर्ग जब शासितो से या सामान्य जनता से घृणा करती है.

5 - भय भी क्रांति का जनक है, अपराधी दण्ड के भय से बचने के लिए तथा सामान्य जन अपने साथ होने वाले अन्याय से बचने केलिए.

6 - जातियों की विभिन्नता भी क्रांति के लिए उत्तरदायी है. असमान जातियां या जातीय विभिन्नता से राष्ट्र में एकता की भावना नहीं आती.

7 - शासक वर्ग की असावधानी.

8 - परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना भी क्रांति का कारण है.

• विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण –

➤ एकतंत्र में पारिवारिक कलह, परस्पर घृणा, द्वेष, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार से जनता शासक अथवा राजा के प्रति विद्रोह कर देती है.

➤ कुलीनतंत्र में शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है. विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य न होने से भी जनता क्रांति करती है.

➤ प्रजातंत्र में नेताओं या नेतृत्व की अधिकता के कारण क्रांति होती है. ये नेता निर्धनों या सामान्य जनता को अपने पक्ष में लेकर धनिकों के विरुद्ध क्रांति.

• क्रांतियों के निवारण के उपाय –

अरस्तू क्रांति के कारणों की खोज के साथ उसके निवारण के उपाय भी बताता है – इसके लिए अरस्तू समस्या के तह तक जाता है कि क्रांति उत्पन्न ही न होने पाये –

1 – राज्य में किसी भी वर्ग में शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए. (विद्रोह की प्रबल संभावना)

2 – शासक और शासितों में सद्भावनापूर्ण विश्वास और संबंध हो, शासकों के प्रति विश्वास का भाव.

3- जनता में संविधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखना भी क्रांति से बचने का उपाय है. यह कार्य उचित शिक्षा द्वारा संभव है.

4 - जब जनता मन और स्वभाव से कानूनों का पालन करे, तथा लोगों के मन में कानून के प्रति निष्ठा हो, तथा किसी भी को कानून तोड़ने की आजादी न हो.

5- राज्य की ओर से लोगों में आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए.

6- शासन में भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से क्रांतियों को जन्म देता है, शासकों का व्यवहार /आचरण /संदेहरचित.

7- विभिन्न वर्गों में सत्ता का वितरण (धनी-निर्धन)

8- मध्यम वर्ग को बढ़ावा देकर क्रांतियों को टाला जा सकता है. (स्वस्थ मध्यम वर्ग - धनी - निर्धन में संतुलन)

9- नागरिकों में बाह्य आक्रमण का भय, ताकि उनमें आंतरिक विरोध का स्वर न उठने पाये. (राष्ट्रप्रेम)

अरस्तू द्वारा क्रांति के उपायों की व्याख्या करने का उद्देश्य - राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखना है. अरस्तू द्वारा बताये गये कारणो में से किसी न किसी कारण से क्रांति हुई है. उसके द्वारा बताये गये उपाय आज भी प्रासंगिक.

• अरस्तू के परिवार व संपत्ति विषयक विचार

• परिवार व संपत्ति व्यक्तिगत विशेषताएं / दोनो ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक. संपत्ति, परिवार के लिए आवश्यक है.

• अरस्तू का दर्शन — पदसोपान पर आधारित.

↓

राज्य सिद्धांत में - परिवार को राज्य का आधार

↓

परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान

↓

नागरिक की प्रथम पाठशाला

↓

मनुष्य को शिक्षित व व्यक्तित्व विकास का अवसर.

• प्लेटो परिवार को व्यक्ति और राज्य के प्रगति व विकास में बाधा मानता है, जबकि अरस्तू इसे उचित आवश्यक व प्रेरणा स्रोत मानता है.

• अरस्तू के अनुसार परिवार एक त्रिकोणात्मक संबंधों का स्वरूप है. (घटक)

1. पति और पत्नी
2. पिता व बच्चे
3. स्वामी और दास.

• परिवार की परिभाषा – स्त्री-पुरुष, पिता और बच्चे तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है।

प्लेटो : स्त्री-पुरुष की समानता पर बल

↓

अरस्तू : स्त्री-पुरुष मे समानता में विश्वास नहीं

↓

पुरुष परिवार का संचालक व श्रेष्ठ

↓

पुरुष का गुण आदेश देना / स्त्री का गुण आज्ञापालन

↓

स्त्री-पुरुष की अंतर्निर्भरता

↓

1. Physical or Sexual
2. Imotional attachment / development
3. welfare of the society.

↓

परिवार व विवाह संस्था उपयोगी

↓

विवाह हेतु स्त्री-पुरुष के आयु का निर्धारण

↓

विवाह शारीरिक व मानसिक परिपक्व होनेपर.

↓

तभी श्रेष्ठ संतान व सुदृढ़ पीढ़ी का निर्माण.

• पिता -पुत्र संबंध से परिवार में अनुशासन व नियंत्रण की सृष्टि होती है.

अच्छा पिता

↓

संतान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व मार्गदर्शन - उचित मार्ग - भटकाव से रोके.

↓

पिता को अनुशासन व प्रेम दोनो का प्रयोग

• स्वामी -दास संबंध में अरस्तू बहुत ही व्यापक रुप में विश्लेषण करता है.

↓

दासता स्वाभाविक और नैतिक है

↓

स्वामी बुद्धिमान – दास विवेकशून्य

↓

यह स्वामी और दास दोनों के हित में है.

↓

दासों के विकास के लिए उस पर स्वामी का शासन जरुरी

↓

दास जीवित संपत्ति है, स्वामी की सेवा.

↓

स्वामी के सानिध्य में दास का व परिवार के अन्य सदस्यों का विकास व कल्याण संभव है.

• संपाति परिवार की आवश्यकताओं तथा समाज की जरूरतों के लिए जड़ वस्तुओ का संग्रह है.

↓

पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपाति

↓

साथ ही निजी संपाति से व्यक्ति में श्रम/कर्मण्यता.

↓

संपाति के द्वारा व्यक्ति जीवन की सुरक्षा

↓

संपाति के अभाव में उदारता तथा अतिथि सत्कार नहीं

↓

संपाति आवश्यक / साधनमात्र / संपाति न तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम

↓

प्लेटो की भांति वह्य-संपाति को समाप्त करने या संपाति के साम्यवाद की बात नहीं, परंतु संतुलित वितरण का समर्थन.

↓

यदि संपाति को लोग (शासक) निजी हित तथा लाभ के लिए प्रयोग करेंगे तो इससे राज्य का विनाश संभव है.

➤ अरस्तू अपने गुरु प्लेटो के विचारों से सहमत नही है कि व्यक्ति, राज्य व समाज के विकास के लिए संपाति व परिवार को सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बना दिया जाय.